न्यायालय राजस्व अपील प्राधिकारी , सवाई माधोपुर (राज0)

पीठासीन अधिकारी :—हरि राम मीना ,आर.ए.एस.

अपील संख्या:—68/2022 (223 आर.टी.एक्ट)
जी.सी.एम.एस .संख्या:—2022/116

उनवान

1. लैण्ड होल्डर तहसीलदार मण्डरायल जिला करौली राजस्थान।

...वादी / अपीलांट।

बनाम

1. जमना पुत्र रतनलाल जाति ब्राहम्ण
2. विद्या देवी उर्फ लक्ष्मी देवी बेवा परसादी जाटव जाति
3. हल्के पुत्र सामलिया जाति जाटव
सभी निवासीयान रोधई तहसील मण्डरायल करौली राजस्थान।

......प्रतिवादीगण / रेस्पोंडेंट।

उपस्थित:—

1. श्री रामजीलाल अग्रवाल अधिवक्ता अपीलांट।
2. श्री लियाकत अली अधिवक्ता रेस्पोंडेन्ट सं0 02।
3. श्री रामसहाय पाराशर अधिवक्ता रेस्पोंडेन्ट सं0 03।
4. पैरोकार सरकार उपस्थित।

—:: निर्णय ::—

दिनांक: 06.02.23

1. यह अपील मातहत अदालत उपखण्ड अधिकारी उपखण्ड मण्डरायल जिला करौली [illegible] दायर मुकदमा संख्या 10/2021 अन्तर्गत धारा 178 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम 1955 , बउनवान लैण्ड होल्डर बनाम जमना लाल वगैरह में पारित निर्णय दिनांक 14.09.2022 के विरुद्ध अंतर्गत धारा 223 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम 1955 न्यायालय हाजा में मियाद अन्दर प्रस्तुत की गई है।
2. प्रकरण में सक्षिप्त तथ्य इस प्रकार है कि वादी ने एक वाद पत्र अदालत मातहत उपखण्ड अधिकारी मण्डरायल के समक्ष इस [illegible] पेश किया कि खसरा नंबर 1480 वाके ग्राम रोधई में परसादी [illegible] [illegible] जाटव जाति से जाटव होने [illegible] अनुसूचित जाति की आराजी की है। परसादी जाटव के फौत होने के बाद से उक्त आराजीयात पर अनुसूचित [illegible]

राजस्व अपील प्राधिकारी
सवाई माधोपुर

Signature Not Verified
Digitally signed by Hari Ram Meena
Date: 2023.03.02 15:12:24 IST
Reason: SelfAttested

Scanned with CamScanner

काबिज है। प्रतिवादी सं0 01 जाति से ब्राह्मण है जो सवर्ण जाति में आता है। मरसादी जाटव ने उक्त आराजीयात को अपनी मृत्यु से पूर्व प्रतिवादी सं0 01 को गलत तरीके से हस्तातंरित की है। अतः प्रतिवादी को उक्त आराजीयात से बेदखल कर आराजी को सिवायचक घोषित की जावे। प्रतिवादी सं0 2/1 ने ऑर्डर 7-रूल-11 प्रार्थना पत्र पेश किया। मातहत अदालत ने दिनांक 14.09.2022 को निर्णय पारित करते हुए प्रतिवादी का प्रार्थना पत्र ऑर्डर 7-रूल-11 स्वीकार फरमा कर वादी का वाद पत्र वाद कारण के अभाव में खारिज कर दिया। उक्त आदेश से व्यथित होकर यह अपील न्यायालय हाजा के समक्ष पेश की है।

3. अपील मीमों के संक्षिप्त तथ्य इस प्रकार है कि अपीलांट/वादी ने इस मातहत अदालत के समक्ष पेश वाद पत्र में फर्जी कुटरचित एवं अनरजिस्टर्ड दस्तावेज का अपने दावा का आधार नही बनाया गया है बल्कि विधि अनुसार जब कोई सवर्ण जाति का व्यक्ति अनुसूचित जाति/जनजाति वर्ग के व्यक्ति की खातेदारी की भूमि पर किसी भी कारण से कब्जा कर लेता हैं और उस भूमि के अवैध हस्तान्तरण में स्वयं भूमि के खातेदार अनुसूचित जाति/जनजाति वर्ग के व्यक्ति की भूमिका संदिग्ध हो जाती है तो ऐसा हस्तान्तरण विधि अनुसार धारा 42 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम के तहत अवैध होता है। इस तथ्य को नजरअंदाज करते हुए मातहत अदालत ने प्रार्थना पत्र रेस्पोंडेन्ट आदेश 7-नियम-11 विधि विरूद्ध तरीके से स्वीकार कर दावा अपीलान्ट खारिज कर दिया गया।

आदेश 7-नियम-11 जा0 दी0 के प्रार्थना पत्र को तय करने का विधि का सुव्यवस्थित सिद्धान्त है कि वादी द्वारा प्रस्तुत वाद पत्र में दर्ज तथ्य के आधार पर ही आदेश 7-नियम-11 के प्रार्थना पत्र का निस्तारण किया जा सकता है ना कि विपक्षी द्वारा की गयी जवाब देही के तथ्यों के आधार पर प्रार्थना पत्र को तय किया जावे। अपीलान्ट द्वारा अपने दावा की ताईद में जमना लाल रेस्पोंडेन्ट को जमीन विवादित का विक्रय करने का दस्तावेजी सबूत प्रस्तुत किया है। इस पर योग्य मातहत अदालत ने मनन न करके प्रार्थना पत्र आदेश 7-नियम-11 मंजूर करने में योग्य मातहत अदालत ने कानूनी भूल की है। अतः अपील अपीलांट स्वीकार कर मातहत अदालत उपखण्ड अधिकारी का निर्णय 14.09.22 को अपास्त फरमाया जावे।

4. अपील प्रस्तुत होने पर दर्ज रजिस्टर की गई। रेस्पो0 को जरिये सम्मन तलब किया गया। तहत अदालत की पत्रावली [illegible] अधिवक्ताओं की बहस सुनी गयी।

5. मुख्य बहस में अधिवक्ता अपील[illegible] हुए कथन किया कि अदालत मातहत [illegible] किया [illegible] के बावत आदेश 7-नियम-11 के प्रार्थना पत्र पर यह तय करना कि वह रजिस्टर्ड है या

Signature Not Verified
Digitally signed by Hari Ram Meena
Date: 2023.03.02 15:12:24 IST
Reason: SelfAttested

राजस्व अपील प्राधिकारी
सवाई माधोपुर

Scanned with CamScanner

अनरजिस्टर्ड है कोई अधिकार प्राप्त नहीं है क्योंकि जब अपीलांट द्वारा अपने वाद पत्र में यह स्पष्ट दर्ज किया है कि परसादी पुत्र कुडेरी ने जमीन विवादित को रेस्पोडेन्ट जमनालाल को विक्रय कर दी गयी तो इन तथ्यों पर योग्य अदालत मातहत को दावे में दोनों पक्षों की पूर्ण शहादत लेकर ही वाद पत्र को तय करना चाहिये था।

आगे कथन किया कि पटवारी हल्का द्वारा दिनांक 11.04.2002 को प्रस्तुत मौका रिपोर्ट से पूरी तरह स्पष्ट था कि खसरा नंबर 1480 पर प्रतिवादी नंबर 01 जमनालाल काबिज है जो सवर्ण जाति का है। जो गैरकानूनी है पटवारी हल्का रोधई की इसी रिपोर्ट को आधार बना कर तत्कालीन भूमि के खातेदार परसादी व भूमि पर काबिज सवर्ण जाति के जमनालाल शर्मा को वहैसियत प्रतिवादी दर्ज कर दावा विधि अनुसार मातहत अदालत के समक्ष पेश किया था लेकिन इन महत्वपूर्ण तथ्यों पर गौर किए बिना ही मातहत अदालत ने अपीलांट/वादी का वाद पत्र खारिज कर दिया। अतः न्यायालय हाजा से निवेदन है कि अपील अपीलांट स्वीकार कर मातहत अदालत उपखण्ड अधिकारी मण्डरायल का निर्णय दिनांक 14.09.2022 को निरस्त किया जावे।

6. जवाब बहस में रेस्पोडेन्ट संख्या 01 द्वारा पैरोकार सरकार की बहस को ही दोहराया गया। प्रकरण को रिमाण्ड करने बाबत् निवेनदन किया।

7. जवाब बहस में रेस्पोडेन्ट संख्या 03 के अधिवक्ता ने कथन किया कि अपीलांट व रेस्पोडेन्ट संख्या 01 मिलकर रेस्पोडेन्ट संख्या 03 से मिल्लत कर उसके खातेदारी को हड़प कर ली गई, जबकि रेस्पोडेन्ट संख्या 02 का इस आराजीयात से कोई संबंध सरोकार नही है। उनके द्वारा वाद में प्रस्तुत जवाब दावा के विशेष कथन के जिम्मन नंबर 01 की और ध्यान दिलवाया जाकर कथन किया कि परसादी का वारिसान रेस्पोडेन्ट संख्या 03 हैं। रेस्पोडेन्ट संख्या 02 का ताईद तक कोई वास्ता नही है। अपीलांट/वादी द्वारा बिलकुल गलत व मनगढंत तथ्यों के आधार पर प्रस्तुत किया है तथा वादी अप्रार्थी ने एक फर्जी व कुटरचित तथा अनरजिरटर्ड दस्तावेज को आधार बना कर मन माने तौर पर रेस्पोडेंटस् को परेशान करने की गरज से दावा हाजा पेश किया गया था। रेस्पोडेंट सं0 02 द्वारा एवं उसके मृतक पति द्वारा कभी भी आराजी खसरा नम्बर 1480 ग्राम रोधई का बेचान किसी भी व्यक्ति को नही किया गया है ना ही कब्जा दिया गया है और ना ही कोई लिखा पढी की है बल्कि वादी द्वारा बिना कारण उत्पन्न हुये अपील हाजा प्रस्तुत की गई है। अदालत मातहत द्वारा दिनांक 14.09.2022 को पारित निर्णय में किसी भी प्रकार कोई त्रुटि नही है। अतः अपील अपीलांट खारिज फरमाई जावे।

8. हमारे द्वारा पत्रावली में उपलब्ध रिकार्ड का अवलोकन किया गया। उभयपक्षकारान अधिवक्ताओं की बहस पर मनन किया गया।

राजस्व अपील प्राधिकारी
सवाई माधोपुर

Signature Not Verified
Digitally signed by Hari Ram Meena
Date: 2023.03.02 15:12:24 IST
Reason: SelfAttested

Scanned with CamScanner

9. पत्रावली में उपलब्ध रिकॉर्ड के अवलोकन से जाहिर आया कि विवादित आराजीयात जमाबंदी संवत् 2058 वाके ग्राम रोधई के खसरा नंबर 1480 परसादी पुत्र कुडेरी चमार सा. देह के नाम दर्ज रिकार्ड है। इसके नामान्तकरण संख्या 1267 दिनांक 27.05.2000 मे लाल स्याही से अंकन है कि " **परसादी फौत होने पर खाता काशीबाई बेवा गरीबा व रामप्रसाद,रिशीकेश, बन्टी पिसरान गरीबा 1/2 हल्के पुत्र सामलिया चमार 1/2 सा0 देह0 के नाम स्वीकार हुआ है।"**

मृतक परसादी के विरासत वारिसान रेस्पोडेन्ट/ प्रतिवादी सं0 03 के विशेष कथन के जिम्मन नंबर 01 की ताईद विरासत नामान्तरकरण संख्या 1207 दिनांक 27.05.2001 व 03.03.2001 से होना प्रभावित है।

10. तहसीलदार के नामन्तरण संख्या 1207 दिनांक 03.03.2001 की अपील में अदालत मातहत द्वारा विवादित आराजीयात के खातेदारी अधिकार की घोषणा का वाद की घोषणा का वाद अदालत मातहत में 37/02 बउनवान हल्के बनाम विद्या देवी लम्बित रहते हुए नामान्करण अपील को स्थगित करना चाहिए था ताकि मुकदमों की बहुलता न बढ़े। वैसे भी नामान्तकरण कार्यवाही एक "फिस्कल प्रोसेडिंग" है न कि खातेदारी अधिकार निर्धारण की।

आदेश 07 नियम 11 जा0 दी0 के प्रावधान निम्नानुसार है–

(a) where it does not disclose a cause of action;

(b) where the relief claimed is undervalued, and the plaintiff, on being required by the Court to correct the valuation within a time to be fixed by the Court, fails to do so;

(c) where the relief claimed is properly valued, but the plaint is returned upon paper insufficiently stamped, and the plaintiff, on being required by the Court to supply the requisite stamp-paper within a time to be fixed by the Court, fails to do so;

(d) where the suit appears from the statement in the plaint to be barred by any law:

अदालत मातहत में प्रार्थना पत्र आदेश 07 नियम 11 के दो प्रार्थना पत्र निर्णित हुए।

(1) दिनांक 16.03.2007 प्रार्थी हल्के (प्रतिवादी नंबर 03) द्वारा–

"मुख्य बिंदुः– वाद में मृतक परसादी के वारिसान को आवश्यक पक्षकार नहीं बनाया गया"

(2) दिनांक 17.09.2022 प्रार्थिया विद्या देवी उर्फ लक्ष्मी देवी (रिस्पोडेन्ट सं0 02/1) द्वारा–

"मुख्य बिंदुः– तथाकथित विक्रय [illegible] से वाद कारण उत्पन्न नही"

राजस्व अपील प्राधिकारी
सवाई माधोपुर

Signature Not Verified
Digitally signed by Hari Ram Meena
Date: 2023.03.02 15:12:24 IST
Reason: SelfAttested

Scanned with CamScanner

दोनो प्रार्थना पत्रों के अलग–अलग आधार है, व प्रार्थी भी अलग–अलग है। प्रार्थना पत्र आदेश 07–नियम–11 के दृष्टिगत वाद में वाद पत्र एवं जवाब दावा रेस्पो संख्या 01, 02, व 03 का शामिल मिसल है। प्रार्थना पत्र 07–नियम–11 के निर्धारण के लिए केवल वादपत्र में वर्णित तथ्यों को विचारण न्यायालय को देखना होता है। प्रार्थी प्रतिवादी को आदेश 07–नियम–11 के अन्तर्गत आवेदन पेश करने का अधिकार नहीं है। वाद में विधि व तथ्य का मिश्रित बिंदु अन्तर्निहित है। इस कारण प्रारम्भिक स्तर पर खारिज नहीं किया जा सकता है।

प्रश्नगत सम्पत्ति पर के संबंध में प्रश्न विवादास्पद है और साक्ष्य अभिलिखित के वाद निर्धारित किया जा सकता है। इस कारण यह नहीं कहा जा सकता है कि वाद पत्र कोई वाद प्रकट नहीं करता है। {2017 (3) डी.एच.जे. (राज) 1035}

11. उपर्युक्त विवेचना के आधार पर अपील अपीलांट आंशिक स्वीकार की जाकर अदालत मातहत के आदेश दिनांक 14.09.2022 बउनवान लैण्ड होल्डर बनाम जमना लाल वगैरह प्रार्थना पत्र 07–नियम–11 को निरस्त किया जाता है। पत्रावली अदालत मातहत को इन निर्देशो के साथ पुनः प्रेषित की जाती है कि प्रकरण में निम्न तनकीयात कायम करते हुए संबंधित पक्षकारान को विधिवत् सुनवाई का मौका देते हुए पुनः नए सिरे से निर्णय पारित करे–

(1) आया मृतक परसादी के वारिसान रेस्पोडेन्ट संख्या 03 के जवाब दावा के विशेष कथन के जिम्मन नंबर 01 व पत्रावली में शामिल प्रदर्श–1 जमाबंदी संवत् 2058 वाके ग्राम रोधई भू अभिलेख क्षेत्र मण्डरायल मे अंकित लाल स्याही से अंकित टिप्पणी के अनुसार है ? {भार–प्रतिवादी सं0 03}

(2) आया मृतक परसादी द्वारा क्या रेस्पोडेन्ट सं0 01 को विवादित आराजीयात का अवैध हस्तान्तरण विधि विरूद्व किया गया है ? {भार–अपीलांट/वादी}

(3) आया रेस्पोडेन्ट संख्या 01 बेदखली का दायी है ? {भार–अपीलांट/वादी}

उभयपक्षकारान को निर्देशित किया जाता है कि दिनांक 08.03.2023 को सुनवाई के लिए मातहत अदालत उपखण्ड अधिकारी मण्डरायल के समक्ष उपस्थित हों।

12. पत्रावली फैसल शुमार होकर दफ्तर दाखिल हो। निर्णय सरेइजलास आज दिनांक 06.02.2023 को सुनाया गया।

(हरि राम मीना)
उपखण्ड अधिकारी,
सवाई माधोपुर

Signature Not Verified

Digitally signed by Hari Ram Meena
Date: 2023.03.02 15:12:24 IST
Reason: SelfAttested

Scanned with CamScanner